बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, सुपौल के पत्रांक 783 दिनांक 13.08.2022 द्वारा मो0 ईमरूल कैश, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02666) के विरूद्ध विभागीय दिशा–निदेश के अनुरूप कार्य नहीं करने, दो माह बीत जाने के बावजूद खानापुरी कार्य सम्पन्न नहीं करने, शिविर प्रभारी द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब नहीं देने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए सेवा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त आरोप पत्र एवं की गयी अनुशंसा के आलोक में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के ई–ऑफिस पत्रांक I/33808 दिनांक 06.10.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित गया है।

आरोपित के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि आरोपित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है, परन्तु इनके द्वारा जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया है।

अतः आरोपित द्वारा दिए गए आश्वासन के दृष्टिगत 15 दिन के मानदेय कटौती का दण्ड अधिरोपित करते हुए मो0 ईमरूल कैश, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02666) को स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सुधार नहीं लाने अथवा गलती की पुनरावृति करने पर सेवा समाप्त कर दिया जाएगा।

Signed by Jai Singh
Date: 18-03-2023 21:09:55

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

प्रतिलिपि :–

1. बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. मो0 ईमरूल कैश, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02666), बंदोबस्त कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।